[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 06 /2026-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 के खंड (iv), (v) और खंड (xxvii), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में, -

i. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में -

(क) मद (i) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते** कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी होटल आवास सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई होटल आवास सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या देखें। (iv)]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' से ₹7,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा बुक की। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य आपूर्तिकर्ता 'ग' से ₹10,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा प्राप्त करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर (₹900) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा पर केवल ₹250 (₹10,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹900 का।";

(ख) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते कि** व्यवसाय की समान राह में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यवसाय की तरह ही इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी निर्दिष्ट परिसर के अलावा रेस्तरां सेवा के किसी अन्य सेवा प्रदाता से खरीदी गई सेवा) के अलावा, नहीं लिया गया है [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या देखें। (iv)]";

(ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते** कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी माल की आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर, भारतीय रेलवे या आई.आर.सी.टी.सी. या उनके लाइसेंसधारियों से खरीदा गया हो) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या देखें। (iv)]";

(घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते** कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या देखें। (iv)]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।";

(ङ) मद (v) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"**बशर्ते** कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी बाह्य कैटरिंगसेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या देखें। (iv)]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने 'ख' को विनिर्दिष्ट परिसर से भिन्न परिसर में आयोजित विवाह समारोह के लिए ₹1,00,000 की राशि पर परिसर को किराए पर देने के साथ बाह्य कैटरिंग की सम्मिश्र आपूर्ति हेतु नियोजित किया। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, ₹60,000 की राशि पर किसी अन्य बाह्य कैटरिंग सेवा प्रदाता 'ग' को नियोजित करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर (₹5,400) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर (₹2,500) वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा, अर्थात् बाह्य कैटरिंग सेवा, पर केवल ₹1,500 (₹60,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹5,400 का।";

ii. क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (via) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अतं:स्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(vib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है ।	2.5	**बशर्ते** कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या (iv) देखें।] **बशर्ते** कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। *उदाहरण:* 'A' 1000 रुपये में 'B' को विद्युत संचालित वाहन से नई दिल्ली से गया तक परिवहन के लिए नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
	या	
	9	-";

iii. क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अतं:स्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है ।	2.5	**बशर्ते** कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया *स्पष्टीकरण* संख्या (iv) देखें।] **बशर्ते** कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। *उदाहरण:* 'A' यात्रियों के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा

		समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
	या	
	9	-
(ic) माल के परिवहन के लिए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है ।	2.5	**बशर्ते** कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में) माल के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)] **बशर्ते** कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। *उदाहरण:* 'A' माल के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से संघ राज्य क्षेत्र कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
	या	
	9	-";

iv. क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा डिलीवरी सेवाएं, (क) जिसकी आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है	2.5	बशर्ते कि डिलीवरी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या देखें। (iv)]।";

(ख) वैसे माल के संबंध में, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है।		

(ख) अनुच्छेद 3 को हटा दिया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,

i. खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(xxxx)"माल परिवहन एजेंसी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।';

ii. खंड (xxxxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:—

'(xxxxv)"विद्युत संचालित वाहन" का अर्थ ऐसे सड़क वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट की गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है और इसमें ई-साइकिल शामिल होगी।'.

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 15/2025- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि जिसे सा.का.नि. 665 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।